

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER

KUMHER

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Date : 11/01/2013
Name : E.O.NAGAR PALIKA KUMHER Face Value : 15707
Address : KUMHER
Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Name : HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION DEPARTMENT , KUMHER
No. : 2013000140 Stamp Value : 0

Registration Fee	: 160	Commission Fee	: 0
ing/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
morandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 790
on Stamp Duty	: 80		
/s 25-34	: 0		

TOTAL : 1230

Rs. One Thousand Two Hundred Thirty only

अधिकारी
कुम्हेर (प्रशासन) पांडा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कुम्हेर (भरतपुर) दाज०

क्रमांक

राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम
2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

दिनांक

यह विलेख आज वर्ष..... के माह..... के वे दिन नगर पालिका मण्डल कुम्हेर (जिन्हे
इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री जी..... उक्त निकाय का नाम
जाति..... व्यवसाय..... निवासी..... (जिनको इसके बाद लोजधारक सम्बाधित किया
गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकल, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रबंधक, प्रातानिधि-अधिकारी
मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे ।) के मध्य निष्पादित हुआ है ।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई
है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा
पालन किये जायेगे के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड
कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना..... राजस्व ग्राम..... के खसरा
संख्या..... क्षेत्रफल..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये
परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है । और जिसे
पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नालिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन
खरीदार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थातः :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रैल
के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण
(शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये..... अंकेन..... करेगा परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकता
जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है को सम्मिलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर
होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि
के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे
अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय
निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी ।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होगे ।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल..... प्रयोजन जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई
के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा ।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें लीजधारक के द्वारा
इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा ।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा । उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य
उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा
दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी । किन्तु किसी भी
दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी । उप पट्टे उक्त नियमों में विहिप समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट
मामलों में जारी किये जाये शासित होंगे ।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिति के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत
विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें । प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति
वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोइ फीस
प्रभारित नहीं की जायेगी ।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई
बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक से वसूलीय होगा ।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके
उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और
शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों
से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये
दायी नहीं होगा ।

कस्बे का नाम.....
राजस्व ग्राम.....
खसरा नम्बर.....
योजना का नाम.....
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर.....


पूर्व..... ।।० पश्चिम..... ।।१ फ़ुट..... भूखण्ड की संख्या यदि
कोई हो..... सीमा उत्तर..... ।।२ फ़ुट..... दक्षिण
..... ।।३ फ़ुट..... मानचित्र सलांग है ।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20..... के माह..... क..... वें

दिन श्री.....



निम्न की उपस्थिति में

किये -



निवास स्थान.....

आज सन् 20..... के माह..... के
वें दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री.....

लीजधारक द्वारा कार्यालय..... में हस्ताक्षर
किये गये -

Wali N

नगरनिकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

*(नगरपालिका अधिकारी)
(प्रथम पक्ष) 321202*

साक्षी

साक्षी

लीज धारक - द्वितीय पक्ष

1 साक्षी :-

नाम.....
पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

परतलाल

साक्षी

2 नाम.....
पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

बालभद्र

साक्षी

अध्यक्ष

Wali N
अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका कुम्हे (भरतपुर)

नगरपालिका कुम्हे (भरतपुर)


नक्षा भूमि संख्या पट्टौरे - जी. रत्नसिंह प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान का
प्रधानारोड कस्बा कुमेह प्राप्ति क्रमांक ५२०८१३

गढ़ी

भूमाना
1 = 20'

भूमि संख्या रब. नं. ५७९६ लंब

2152 118
35'



जी. रत्नसिंह प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान
कुमेह (पट्टौर) संस्कृत केन्द्र
कुमेह (पट्टौर)

नोट- नक्षा सन्ति द्वारा द्वय के बताये जानुसार क्रमांक ५२०८१३ है।

— मुर्मन रंग से सीमित भूमि संख्या जी. रत्नसिंह प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दर्जा गयी है।

मुमो नक्षा द्वारा दर्जा गया।
23-11-2012
LKH/NE/1

मुमो नक्षा द्वारा दर्जा गया।

9113

(लैग) 321200

आज दिनांक 11 माह January सन् 2013 को 17:33 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री A
उम्र 0 वर्ष, जाति _____ व्यवसाय G
निवासी KUMHER
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KUMHER
(2013000141)

(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं 2013000095 दिनांक 11/01/2013
पंजीयन शुल्क रु 4700/-
प्रतिलिपि शुल्क रु 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रु 0/-
अन्य शुल्क रु 2350/-
कमी स्टाम्प शुल्क रु 23490/-
कुल योग रु 30840/-

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर फोटो

अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-E.O.NAGAR PALIKA KUMHERIA
Age:0, Caste-
Ocu.-G
R/O-KUMHER

(And Claimant)
1-HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION
DEPARTMENT /A
Age:0, Caste-
Ocu.-
R/O-KUMHER

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशि रु० 15707/- पूर्व में/मेरे समक्ष /मेरे से रु० 15707/- पूर्व में — ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
 1. श्री / श्रीमती / सुश्री BHARATLAL
 पुत्र / पुत्री / पल्ली श्री BALKISHAN उम्र ० वर्ष
 जाति ब्यवसाय FARMER
 निवासी KUMHER

2. श्री / श्रीमती / सुश्री AMAR SINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RATAN SINGH उम्र ० वर्ष
जाति ब्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2013000140) ਤਪ ਪੰਜਾਬ, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 469807
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 23490 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 4700 कुल रूपये 30840
जरिये रसीद संख्या 2013000095 दिनांक 11/01/2013
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रूपये 23490
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 11/01/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 404
में पृष्ठ संख्या 156 क्रम संख्या 2013000123 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1006
के पृष्ठ संख्या 15 से 20 पर
चर्चा किया गया।

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))